THE ECONOMIC TIMES

Tax treaty: Realigning Mauritius

By Nishith Desai

The Mauritius Treaty has been in existence since 1983 and, over a period of time, played a critical role in attracting investments into India. Right from the inception, the focus of the Mauritian government has been to develop a robust offshore financial centre regime that attracted reputed financial investors to use Mauritius as a platform for investment into India.

In fact, most of the initial companies that were set up in Mauritius were funds looking at investing into India. The Indian government was also instrumental in promoting the Mauritius route and vehemently defended the Mauritius route before the Supreme Court in the Azadi Bachao Andolan case, besides issuing circulars to ensure that treaty benefits on capital gains were provided to Mauritian companies.

It must be recalled that during the 1990s, when the treaty first began to be extensively used, the capital gains tax rates in India were significantly higher than they are today. Investors, especially those from the US, were concerned about direct investment into India due to a credit mismatch issue that arose due to differences in the source rules in India and US. The concern for US investors was that the taxes paid in India on capital gains were not available as a credit in the US. With time and the lowering of the Indian tax rates, this has become less of an issue for investors.

Over the last decade, the stance of the government in respect of the Mauritius treaty has undergone a change and everyone has expected amendment to the treaty for the last 10 years. So, it is not coming as an absolute bolt out of the blue for anyone to see the modification to the treaty benefits.

We must compliment both the governments for ensuring that there is an orderly phasing out of the capital gains tax exemption over a period of three years without unduly burdening the investors who invested in India relying on the treaty. This has ensured that there is no knee-jerk reaction, unlike in the past, due to the revisions in the treaty.

More importantly, apart from the changes to the capital gains tax benefit, renegotiating a reduced rate of tax of 7.5% on interest will also usher the India-Mauritius tax relationship into a new era. While the press release only talks about increase in rate of tax for banks, my understanding is that the 7.5% rate of tax on interest will be extended to all investors who are investing from Mauritius.

India has a shallow debt market and it is likely that the country's debt markets will get a boost providing for a reduced tax rate on interest. Already, we are seeing India relaxing its exchange controls to facilitate debt from overseas and has, in some circumstances, reduced tax rates to even 5% (but not across the board). The protocol will make Mauritius even more attractive than Singapore, Cyprus, Netherlands, etc, at least for debt investments.

We must celebrate the implementation of the treaty by both the countries in good faith for all these years. Time and time again, despite all the news reports on treaty benefit being denied, at the highest levels in the government, the view has been that any change has to be made through an amendment to the treaty.

In fact, we must acknowledge that when the Indian capital gains taxes were high (ranging between 25-50% until recently), the India-Mauritius treaty along with the offshore financial centre regime in Mauritius reduced the rigours of Indian taxes and facilitated large amounts of foreign investments into India, transforming India into the growth driver for the world economy that we see today.

The changes to the treaty will, of course, lead to some short-term impact on investments in India. There are unresolved tax issues that especially arise in the context of P-Notes issued by FPIs/FIIs. Further, today, unfortunately, there is an artificial characterisation of business income of the FPI/FIIs being treated as capital gains.

This leads to a situation where even portfolio trading investors who would have otherwise not been taxable in India are being subject to tax here.

Hopefully, the government will revisit this issue and align the position with other countries so that mere trading in Indian securities should not give rise to tax implications in the country, absent a permanent establishment in India. This artificiality is unfair and also gives rise to possible non-availability of tax credits in the home country.

While the government has renegotiated the treaty with Mauritius, it is also hoped that they continue on the path of tax reforms to ensure that investors are not put off by constant adverse changes to tax policy.

The writer, considered in tax circles as the man who discovered Mauritius, had advised the first FII investing into India

Why government's decision to amend tax treaty with Mauritius is commendable

We commend the government for its decision to finally amend the tax treaty with Mauritius to curb its misuse. The move is in line with the global trend towards crossborder tax transparency and ending base erosion and profit-shifting. Ending the kid-glove treatment of Mauritius has not been a cakewalk, but India now has the right to tax capital gains on investments coming from the island nation from April 1, 2017. Tax will be charged at 50% of the prevailing domestic rate for two years with conditionalities, and full tax will be levied from 2019. Investors loathe retrospective taxation. Sensibly, past investments have been grandfathered.

India's big concerns have been Indian entities using the Mauritius route to launder unaccounted wealth and manipulate stocks in India, and treaty shopping by foreigners. So, the limitation of benefit clause introduced with the consent of Mauritius is welcome. Strengthening the exchange of information pact with Mauritius, which has been under pressure from the G20, to rework the clause is in order. The revision of the double-tax avoidance agreement (DTAA) will also change India's treaty with Singapore, where the benefits are linked to Mauritius. Mauritius and Singapore account for over 50% of the FDI inflows into the country. Not unexpectedly, markets have not cheered the treaty revision, meant to provide a level playing field to portfolio investors.

However, there would be a problem. When investors look at inter-country comparisons of post-tax returns, India would now look less appealing, unless the corporate tax rate is cut further to Asean levels. The tax base must be widened with the swift adoption of GST that creates audit trails, to check evasion and identify potential taxpayers. It is also imperative for India to follow the UK, and introduce a unique legal identifier to make companies identify their real beneficiaries. The government should intensively train tax officers ahead of the introduction of the general anti-avoidance rules (Gaar) to curb sharp tax practices next year.

बिज़नेस स्टैंडर्ड

कराधान मुद्दे पर भारत ने मारी बाजी

शुभमय भट्टाचार्य

मॉरीशस सरकार के साथ वार्ता में भारतीय कर अधिकारियों ने हाल में खुद को मोलभाव करने की स्थिति में पाया। यह सिंगापुर के जरिये भारत में किए गए निवेश की रकम पर कराधान का मामला था। इसमें केवल इतना कहा गया है कि यदि सिंगापुर का कोई निवेश अपने निवेश के रूप में तय रकम खर्च करने का दावा करता है तो भारत सरकार उसके स्रोत की तहकीकात के लिए पूछताछ नहीं करेगी। यह भारत में अगले साल से जनरल ऐंटी-अवॉयडेंस रूल्स यानी गार के लागू होने के बावजूद नियम बरकरार रहेगा। गार नियमों के लागू होने पर कर अधिकारी विदेशी निवेशकों से विदेश में किए गए कर भुगतान के संबंध में कठिन सवाल पूछ सकेंगे।

इस क्लॉज को लाभ की सीमा (एलओबी) कहते हैं और इसके जरिये कर की दुनिया में नियमों के तात्पर्य स्पष्ट किए जाते हैं। भारत और मॉरीशस के बीच कर संधि में लॉब क्लॉज भी शामिल है जबकि पुरानी संधि में ऐसा न होने के बावजूद दोनों संधियां भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए समान रूप से आकर्षक हैं। हालांकि पोर्ट लुइस ने सिंगापुर के जरिये भारत में निवेश के संदर्भ में इस क्लॉज के घातक प्रभाव को समझ लिया है। दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत के साथ संधि के नवीनीकरण के लिए हाल में आयोजित वार्ता के दौरान भारत ने भी समान लाभ मुहैया कराने के लिए कहा। भारत के लिए यह एक अवसर था। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस बार प्रोटोकॉल में इसे शामिल किया गया।

इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के दौरान संक्रमण काल में कर दरों में 50 फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा। जबकि मॉरीशस निवासियों (शेल कंपनी सहित) को कर दरों में 50 फीसदी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब पिछले 12 महीनों के दौरान उसके मॉरीशस परिचालन का कुल खर्च 27 लाख रुपये (15 लाख मॉरिशस के रुपये) से अधिक होगा। दूसरे शब्दों में शेल कंपनियों को लगातार अगस्त 2019 तक यह लाभ तभी मिल पाएगा जब वह निवेश करेगी। बहरहाल यह क्लॉज मॉरीशस के जरिये आने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। हालांकि यह तात्कालिक उपाय है लेकिन पूंजीगत लाभ पर कराधान में अंतर का लाभ उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। यहां तक कि एलओबी को शामिल किए जाने के बावजूद मॉरीशस को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। एलओबी के तहत निवेश करने के बाद निवेशकों के पास अब दो समान विकल्प (सिंगापुर अथवा मॉरिशस) उपलब्ध होंगे। जहां तक भारत का सवाल है तो वास्तव में यह खास मायने नहीं रखता कि दोनों देश किस प्रकार बेहतर निवेश सुनिश्चित करेंगे।

मॉरीशस के साथ संधि : पांच क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

एन सुंदरेश सुब्रमण्यन

मंगलवार को भारत सरकार ने मॉरीशस के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे यहां की सरकार को 1 अप्रैल 2017 या इसके बाद मॉरीशस की कंपनियां की तरफ से भारतीय कंपनियों में अधिग्रहीत शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर वसूलने का अधिकार मिल गया। दोनों देशो ने दोहरे कराधान से बचने के दो दशक पुराने समझौते में संशोधन पर मंगलवार को पोर्ट लुई में दस्तखत किए। इसके तहत अगर मॉरीशस की कंपनियां एक अप्रैल 2017 के बाद भारतीय कंपनियों में अपने शेयर बेचती हैं तो उन्हें इससे होने वाले पूंजीगत लाभ पर भारत सरकार को कर देना होगा। हालांकि शुरुआती दो वर्षों के लिए कर की दर घरेलू कर दरों के 50 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। वित्त वर्ष 2019-20 से मॉरीशस की कंपनियों को भारत के घरेलू करदाताओं की तरह ही पूरा कर चुकाना होगा। भारत व मॉरीशस के बीच 1983 में संधि हुई थी, लेकिन यह एक दशक बाद तब अहम बनी जब विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय शेयरों में निवेश की अनुमति दी गई। पूंजीगत लाभ में छूट, शेयरों पर लाभांश आदि भारत आने वाले विदेशी निवेशकों के लिए मुख्य आकर्षण बन गया। काफी कम रियल एस्टेट कारोबार वाली कंपनियां यानी पूरा उद्योग मॉरीशस के जरिए भारत में निवेश करने लगा।

कालेधन पर साल 2012 में सौंपे गए श्वेत पत्र में मॉरीशस के जरिए होने वाले निवेश का संदर्भ दिया गया है। इस श्वेत पत्र पर मॉरीशस सरकार की तरफ से जोरदार खंडन आया। मॉरीशस के वित्त व आर्थिक विकास मंत्रालय ने साल 2012 में एक विज्ञप्ति में कहा था, हम इस पत्र में शामिल एक बयान पर काफी चिंतित हैं कि भारत में होने वाला निवेश मॉरीशस होकर आता है और यह कर टालने के लिए होता है या फिर राजस्व अधिकारियों के सामने निवेशकों की पहचान छुपाने के लिए और इनमें से कुछ वास्तव में भारतीय प्रवासी हो सकते हैं, जिन्होंने इस प्रक्रिया के जरिए अपनी खुद की कंपनी में निवेश किया है। श्वेत पत्र में किसी ऐसे मामले का जिक्र नहीं है जो मॉरीशस से जुड़ा हो। हालांकि इसने उम्मीद जताई थी कि संयुक्त कार्यसमूह बनेगा, जो दोनों देशों के हितों को सुरक्षित बनाएगा। मौजूदा प्रगति के बाद लॉ फर्म निशीथ देसाई एसोसिएट्स ने बाजार के विभिन्न हितधारकों के ऊपर पडऩे वाले इस कदम के असर का विश्लेषण किया है। पांच मुख्य क्षेत्र हैं, जिस पर ताजा घटनाक्रम का असर पड़ सकता है।

सिंगापुर मार्ग से होने वाला निवेश

भारत-सिंगापुर डीटीएए के अनुच्छेद-6 में कहा गया है कि भारतीय कंपनी के शेयर बेचने पर सिंगापुर के निवासियों को होने वाला पूंजीगत लाभ तभी तक मिलेगा जब तक कि भारत-मॉरीशस डीटीएए के तहत इस तरह का लाभ वहां के निवेशकों को मिल रहा है। अब चूंकि भारत-मॉरीशस डीटीएए के तहत प्रावधान में संशोधन हो गया है, लिहाजा चिंता इस बात की है कि एक ओर जहां मॉरीशस डीटीएए के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 के पहले हुए निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं सुरक्षा से जुड़े ऐसे प्रावधान का विस्तार भारत-सिंगापुर डीटीएए के तहत हुए निवेश तक शायद नहीं हो पाएगा। इसके परिणामस्वरूप सिंगापुर के निवासी की तरफ से भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री को 1 अप्रैल 2017 के बाद (जिसका अधिग्रहण 1 अप्रैल 2017 से पहले हुआ हो) मौजूदा प्रावधान का फायदा शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि भारत-मॉरीशस डीटीएए के तहत लाभकारी प्रावधान उस तारीख तक समाप्त हो जाएंगे।

प्राइवेट इक्विटी फंड व होल्डिंग कंपनियां

अनिवार्य परिवर्तनीय ऋणपत्र के जरिए होने वाले निवेश अभी भी निवासी आधारित कराधान के दावे के योग्य हैं क्योंकि मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ शेयर पर ही कराधान अधिकार की बात करती है और प्रोटोकॉल के तहत स्रोत आधारित कराधान सिर्फ ऐसे लेनदेन तक ही सीमित हो सकते हैं। निशिथ देसाई के नोट में कहा गया है कि इस बाबत स्पष्टीकरण तभी सामने आएगा जब प्रोटोकॉल के दस्तावेज जारी होंगे। प्राइवेट इक्विटी फर्मों की तरफ से अभी जुटाई गई रकम अगर नए वित्त वर्ष में निवेश की जाएंगी तो इन्हें भी पहले फैसला लेना होगा और फिर निवेशकों को सूचित करना होगा कि वे कौन सा जरिया अपना सकेंगे।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

आयकर अधिनियम के तहत एफपीआई के पास मौजूद सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को (निवेशित अवधि या इक्विटी की ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी जो भी हो) पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। ऐसे शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ होता है और अभी एफपीआई भारत-मॉरीशस डीटीएए के तहत पूंजीगत लाभ के प्रावधान का फायदा उठाते हैं। संशोधन के बाद ऐसे निवेश भी प्रभावित होंगे और प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे निवेश 1 अप्रैल 2017 के बाद भारत में कर के दायरे में आ जाएंगे। सूचीबद्ध शेयर और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी बिक्री से होने वाले लाभ पर शून्य फीसदी की दर लागू है, अगर ऐसे शेयरों में 12 महीने से ज्यादा समय से निवेश किया गया हो। इसके पूंजीगत लाभ पर कर की दर 15 फीसदी है, अगर इसके निवेश की अवधि 12 महीने से कम हो। संक्रमण की अवधि में हालांकि ये दरें घटाकर 7.5 फीसदी की जा सकती है।

पी-नोट जारी करने वाले

पार्टिसिपेटरी नोट जारी करने वालों पर प्रोटोकॉल के तहत विपरीत असर पड़ सकता है क्योंंकि बिक्री की स्थिति में कराधान की लागत ऐसी व्यवस्था के तहत तैयार करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करना न सिर्फ महंगा होगा बल्कि भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश की इच्छा करने वाले निवेशकों के लिए कम आकर्षक भी बनाएगा। यह मानते हुए कि पी नोट जारी करने वाली एफपीआई इकाई पर भारत में कर लगेगा, तो इसे जारी करने वाला भी पी नोट धारक को से इसकी वसूली करेगा और ये चीजें एफपीआई इकाई पर कराधान के समय के बेमेल के चलते होंगी। इस पर कराधान को देखते हुए यह देखना होगा कि क्या पी नोट निवेशकों के लिए आकर्षक साबित होता है।

वायदा व विकल्प लेनदेन

अनिवार्य परिवर्तनीय ऋणपत्र की तरह ही भारत में एफऐंडओ में प्रवेश करने वाली मॉरीशस की इकाइयां निवासी आधारित कराधान के लाभ का दावा करने में सक्षम होंगी क्योंकि ऐसे अनुबंध पूंजीगत संपत्तियों से संबंधित होते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के दस्तावेज जारी होने के बाद ही पूरी स्पष्टता देखने को मिलेगी।